भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

24, तिलक मार्ग, नई दिल्ली

430वीं आरजीपी बैठक का कार्यवृत्त

स्थान-तक्षशिला सम्मेलन कक्ष, एनएमए

दिनांक एवं समय-26 मार्च 2024 अपराह्न 12.15 बजे

******

बैठक में निम्नलिखित ने भाग लिया:

1. प्रो. किशोर के. बासा, अध्यक्ष, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण - ***अध्यक्ष***
2. श्री टी.एन. तिवारी, पूर्णकालिक सदस्य, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण
3. श्री हेमराज आर कामदार, अंशकालिक सदस्य, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (*वस्तुतः उपस्थित हुए*)
4. श्री भास्कर वर्मा, सदस्य सचिव, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण
5. कर्नल सव्यसाची मारवाहा, निदेशक, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

कार्यसूची 01

429वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

कार्यसूची 02

ऑनलाइन मामले

मामला संख्या 01

(श्री माणिकभाग्य फाउंडेशन ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व माणिकचंद गमादीरामजी पारेख, मार्फत महावीर कॉलोनी, बीएलडीई रोड, विजयपुर, कर्नाटक-586101)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ मामले को **वापस भेजने का निर्णय लिया:**

क) संपत्ति दस्तावेजों के अनुसार, संपत्ति ट्रस्ट के स्वामित्व में है, जबकि फॉर्म-I और फॉर्म-II में इसका उल्लेख व्यक्तिगत स्वामित्व के रूप में किया गया है।

ख) ट्रस्ट की ओर से आवेदन करने के लिए श्री माणिकचंद गमदीरामजी पारेख के लिए प्राधिकार पत्र संलग्न नहीं हैं।

ग) प्रस्तावित भवन की ऊंचाई 12.35 मीटर तक सीमित की जानी चाहिए (सभी को सम्मिलित करते हुए)।

उपरोक्त टिप्पणियों का अनुपालन करते हुए आवेदक सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक के माध्यम से प्रस्ताव फिर से प्रस्तुत कर सकता है।

<u>मामला संख्या 02</u>

(श्री मनासुरसाब बागवान, पुत्र दस्तगीरसाब, लक्ष्मी गुड़ी हत्तीर, तोरावी, बीजापुर, कर्नाटक-586108)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने आवेदक को प्रस्तावित निर्माण के लिए ऊंचाई 07.50 मीटर (सभी सहित) तक सीमित करने और सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक के माध्यम से संशोधित भवन योजना के साथ आवेदन पुनः जमा करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया।

<u>मामला संख्या 03</u>

(हदीशुन्निशा, बर्डपुर नं. 01, टोला-पिपरहवा, कपिलवस्तु, पोस्ट-पंचगवा परगना एवं तहसील-नौगढ़, टप्पा-घोष, जिला-सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने सर्वेक्षण संख्या 2046, बर्डपुर नंबर 1, अलीगढ़वा (कपिलवस्तु), नौगढ़, सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश में 07.50 मीटर (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ GF=1F=40.77 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, लखनऊ की रिपोर्ट में उल्लिखित नियम एवं शर्तों का पालन करने के अध्यधीन अनुमति प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या 04</u>

(बशीर अहमद, बर्डपुर नंबर 1 टोला-बिहारा, टप्पा-घोस, पी/टी-नौगढ़ जिला-सिद्धार्थ नगर, उत्तर प्रदेश)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ मामले को **वापस भेजने का निर्णय लिया:**

क) स्व-घोषणा में प्रस्तावित निर्माण स्थल के पते का उल्लेख नहीं है।

ख) भवन योजना स्पष्ट नहीं है.

मनोज वर्मा

उपरोक्त टिप्पणियों का अनुपालन करने के बाद आवेदक सक्षम प्राधिकारी, लखनऊ के माध्यम से संशोधित प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत कर सकता है।

मामला संख्या 05

(जैबुन्निशा, बर्डपुर नं. 1, टोला-अलीगढ़वा, पोस्ट-पंचगवा, परगना एवं तहसील-नौगढ़, टप्पा-घोष, जिला-सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने सर्वेक्षण संख्या 885, अलीगढवा (कपिलवस्तु), नौगढ़, सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश में 07.50 मीटर (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ GF=1F=46.07 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, लखनऊ की रिपोर्ट में उल्लिखित नियम एवं शर्तों का पालन करने के अध्यधीन अनुमति प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 06

(थैटवर्ती लक्ष्मी नारायण पुत्र थाटवर्ती चेंचू रमैया, दरवाजा नं. 14-6-12/1, विंजामुरिवारी थोटा, विजयलक्ष्मी पुरम, बापटला, आंध्र प्रदेश-522101)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ मामले को **वापस भेजने का निर्णय लिया:**

क) प्रस्तावित भवन की ऊंचाई 10.00 मीटर तक सीमित होनी चाहिए(सभी सम्मिलित)।

ख) स्व-घोषणा एनएमए द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार नहीं है जो एनएमए वेबसाइट पर उपलब्ध है।

आवेदक उपरोक्त टिप्पणियों का अनुपालन करने के बाद सक्षम प्राधिकारी, आंध्र प्रदेश के माध्यम से संशोधित प्रस्ताव फिर से जमा कर सकता है।

मामला संख्या 07

(मन्नवा सिद्धार्थ पुत्र मन्नवा लक्ष्मी नरसिम्हा राव, फ्लैट नंबर: 302, तीसरी मंजिल, गायत्री आवास अपार्टमेंट, स्ट्रीट नंबर-2, एसएनपी अग्रहारम, बापटला, आंध्र प्रदेश-522101)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ मामले को **वापस भेजने का निर्णय लिया:**

क) प्रस्तावित भवन की ऊंचाई 10.00 मीटर तक सीमित होनी चाहिए (सभी सम्मिलित)।

ख) स्व-घोषणा एनएमए द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार नहीं है जो एनएमए वेबसाइट पर उपलब्ध है।

आवेदक उपरोक्त टिप्पणियों का अनुपालन करने के बाद सक्षम प्राधिकारी, आंध्र प्रदेश के माध्यम से संशोधित प्रस्ताव फिर से जमा कर सकता है।

<u>मामला संख्या 08</u>

(बी. सविथ्रम्मा, डी.नं. 5-58, के. बटावरी पल्ली, कालाकाडा मंडल और जिला -अन्नैयामैह, आंध्र प्रदेश-517236)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने **आवेदक को** प्रस्तावित स्थल के पते का उल्लेख करते हुए सक्षम प्राधिकारी, आंध्र प्रदेश के माध्यम से स्व-घोषणा प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को वापिस भेजने का निर्णय लिया।

<u>मामला संख्या 09</u>

(अंकिसेट्टी सुब्बाराव पुत्र (दिवंगत) वेंकट रत्नम, दरवाजा नंबर 13-6-37, मार्केट स्ट्रीट, बापटला नगर पालिका, आंध्र प्रदेश - 522101)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ मामले को **वापस भेजने का निर्णय लिया:**

क) प्रस्तावित भवन की ऊंचाई 07.50 मीटर तक सीमित रखी जाये (सभी सम्मिलित)।

ख) संपत्ति के स्वामी के रूप में आवेदक को स्थापित करने के लिए संपत्ति दस्तावेज संलग्न नहीं है।

ग) स्व-घोषणा एनएमए के निर्धारित प्रारूप के अनुसार नहीं है जो एनएमए की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

आवेदक उपरोक्त टिप्पणियों का अनुपालन करने के बाद सक्षम प्राधिकारी, आंध्र प्रदेश के माध्यम से संशोधित प्रस्ताव फिर से जमा कर सकता है।

<u>मामला संख्या 10</u>

(श्री कोल्लापुड़ी रवि कुमार और श्री कोल्लापुड़ी वेंकट सत्यनारायण विट्ठल, दरवाजा नंबर 12-1-13, वार्ड नंबर 20, कोल्लापुड़ी वारी स्ट्रीट, बापटला नगर पालिका, जिला- बापटला, आंध्र प्रदेश)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ मामले को **वापस भेजने का निर्णय लिया:**

क) प्रस्तावित भवन की ऊंचाई 10.00 मीटर तक सीमित होनी चाहिए (सभी सम्मिलित)।
ख) स्व-घोषणा (एनएमए वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप के अनुसार) संलग्न नहीं है।

आवेदक उपरोक्त टिप्पणियों का अनुपालन करने के बाद सक्षम प्राधिकारी, आंध्र प्रदेश के माध्यम से संशोधित प्रस्ताव फिर से जमा कर सकता है।

मामला संख्या 11

(कोल्लीपारा स्याम कुमार, डी.नं.10-3-84, बी साइड कन्याकापरमेश्वरी मंदिर, बापटला नगर पालिका, बापटला, आंध्र प्रदेश)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ मामले को **वापस भेजने का निर्णय लिया:**

क) स्व-घोषणा (एनएमए वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप के अनुसार) संलग्न नहीं है।
ख) प्रस्तावित निर्माण स्थल का पता तीन अलग-अलग आवेदकों द्वारा आवेदन संख्या 8544, 9477 और 9476 के तहत जमा किए गए भवन निर्माण की अनुमति मांगने वाले तीन अलग-अलग आवेदनों में समान है। इस विसंगति के लिए संबंधित स्वामी(मालिकों) से स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।

आवेदक उपरोक्त टिप्पणियों का अनुपालन करने के बाद सक्षम प्राधिकारी, आंध्र प्रदेश के माध्यम से संशोधित प्रस्ताव फिर से जमा कर सकता है।

मामला संख्या 12

(सैयद घौसुल्ला, मजीद के पास, ब्राह्मण स्ट्रीट सिद्दावतम गांव और मंडल, आंध्र प्रदेश)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ मामले को **वापस भेजने का निर्णय लिया:**

क) स्व-घोषणा (एनएमए वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप के अनुसार) संलग्न नहीं है।

ख) भवन योजना स्पष्ट नहीं है और इसलिए यह पढ़ने योग्य नहीं है।

ग) संपत्ति के दस्तावेज़, केंद्रीय संरक्षित स्मारक (सीपीएम) की तस्वीर, प्रस्तावित निर्माण स्थल की तस्वीर और सीपीएम से दूरी दिखाने वाली Google मानचित्र छवि सहित आवश्यक दस्तावेज़ जमा नहीं किए गए हैं।

उपरोक्त टिप्पणियों का अनुपालन करने के बाद आवेदक सक्षम प्राधिकारी, आंध्र प्रदेश के माध्यम से प्रस्ताव फिर से जमा कर सकता है।

मामला संख्या 13

(अकुथोटा भागीरध, दरवाजा नंबर 10-3-143 जेंदाचेट्टू स्ट्रीट, बापटला, आंध्र प्रदेश-522101)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने 484/1, दरवाज़ा नंबर 10-2-31; जीबीसी रोड, गुंटूर, आंध्र प्रदेश में 10.00 मीटर ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन कक्ष, जनरेटर कक्ष, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचना आदि सहित) के साथ बेसमेंट+ग्राउंड फ्लोर+2 मंजिलों के साथ GF=1F=2F=73.35 वर्गमीटर, बेसमेंट की गहराई=0.50 मीटर (भवन योजना के अनुसार) तलक्षेत्र वाली इमारत के लिए व्यावसायिक उद्देश्य के लिए भूतल और आवासीय उद्देश्य के लिए पहली और दूसरी मंजिल के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश करने का निर्णय लिया**। सक्षम प्राधिकारी, आंध्र प्रदेश की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 14

(वाई.एस. सुप्रीत, हाउस नंबर 18-बी-27, कप्पागल्लू रोड, चेन्नम्मा स्कूल के पास, बल्लारी, कर्नाटक - 583101)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ मामले को **वापस भेजने का निर्णय लिया:**

क) संलग्न स्व-घोषणा एनएमए के निर्धारित प्रारूप के अनुसार नहीं है जो एनएमए वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

ख) बिल्डिंग प्लान में ममटी की ऊंचाई का उल्लेख नहीं है।

ग) भवन योजना पर किसी लाइसेंस प्राप्त वास्तुकार द्वारा मुहर और हस्ताक्षर नहीं किया गया है, लेकिन उस पर एक बारकोड है जो पढ़ने योग्य नहीं है।

उपरोक्त टिप्पणियों का अनुपालन करने के बाद आवेदक सक्षम प्राधिकारी, आंध्र प्रदेश के माध्यम से प्रस्ताव फिर से जमा कर सकता है।

मामला संख्या 15

(श्री कोल्लपुड़ी श्रीराम चंद्र गुप्ता पुत्र सत्यनारायण, दरवाजा नंबर 12-1-13 वार्ड नंबर: 20 कोल्लपुदिवारी स्ट्रीट बापटला, आंध्र प्रदेश-522101)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने मामले को इस टिप्पणी के साथ **वापस भेजने का निर्णय लिया** कि स्व-घोषणा एनएमए द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार नहीं है जो एनएमए वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। आवेदक उपरोक्त टिप्पणी का अनुपालन करने के बाद सक्षम प्राधिकारी, आंध्र प्रदेश के माध्यम से संशोधित प्रस्ताव फिर से जमा कर सकता है।

मामला संख्या 16

(कोप्पुरवुरी राजा पुत्र आदिनारायण, दरवाजा नंबर: 10-3-65, एमजी रोड, बापटला, आंध्र प्रदेश - 522101)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ मामले को **वापस भेजने का निर्णय लिया:**

क) स्व-घोषणा (एनएमए वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप के अनुसार) संलग्न नहीं है।

ख) प्रस्तावित निर्माण स्थल का पता तीन अलग-अलग आवेदकों द्वारा आवेदन संख्या 8544, 9477 और 9476 के तहत जमा किए गए भवन निर्माण की अनुमति मांगने वाले तीन अलग-अलग आवेदनों में समान है। इस विसंगति के लिए संबंधित स्वामी(मालिकों) से स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।

आवेदक उपरोक्त टिप्पणियों का अनुपालन करने के बाद सक्षम प्राधिकारी, आंध्र प्रदेश के माध्यम से संशोधित प्रस्ताव फिर से जमा कर सकता है।

मामला संख्या 17

(कोप्पुरावुरी आदिनारायण पुत्र कोप्पुरावुरी राजा, दरवाजा नंबर 10-3-65 एमजी रोड, बापटला, आंध्र प्रदेश-522101)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ मामले को **वापस भेजने का निर्णय लिया:**

क) स्व-घोषणा (एनएमए वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप के अनुसार) संलग्न नहीं है।

ख) प्रस्तावित निर्माण स्थल का पता तीन अलग-अलग आवेदकों द्वारा आवेदन संख्या 8544, 9477 और 9476 के तहत जमा किए गए भवन निर्माण की अनुमति मांगने वाले तीन अलग-अलग आवेदनों में समान है। इस विसंगति के लिए संबंधित स्वामी(मालिकों) से स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।

आवेदक उपरोक्त टिप्पणियों का अनुपालन करने के बाद सक्षम प्राधिकारी, आंध्र प्रदेश के माध्यम से संशोधित प्रस्ताव फिर से जमा कर सकता है।

<u>ऑफ़लाइन मामले</u>

<u>मामला संख्या 18</u>

(मैसर्स एलपीडब्ल्यू वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड, नंबर 707-708, टावर 01, डीएलएफ कॉरपोरेट ग्रीन्स, गुड़गांव, हरियाणा-122004 और प्लॉट नंबर 31 पी, सेक्टर-38 गुड़गांव-122001, हरियाणा)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने आवेदक को प्रस्तावित कार्य पर प्राधिकरण के समक्ष एक प्रस्तुति देने के लिए कहते हुए मामले को **वापस भेजने का निर्णय लिया।** सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु, एसए, एएसआई, चेन्नई सर्कल के परामर्श से सीपीएम "मेगालिथिक सिस्ट्स और बाउंडिंग स्टोन सर्कल के साथ केर्न्स, एनचूर" की संरक्षित सीमा से प्रस्तावित निर्माण स्थल की दूरी को फिर से सत्यापित करे।

<u>मामला संख्या 19</u>

(मैसर्स एलपीडब्ल्यू वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड, नंबर 707-708, टावर 1, डीएलएफ कॉरपोरेट ग्रीन्स, गुड़गांव, हरियाणा - 122004 और प्लॉट नंबर 31 पी, सेक्टर 38 गुड़गांव-122001, हरियाणा)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने आवेदक को प्रस्तावित कार्य पर प्राधिकरण के समक्ष एक प्रस्तुति देने के लिए कहते हुए मामले को **वापस भेजने का निर्णय लिया।**

<u>**मामला संख्या 20**</u>

(मैसर्स एलपीडब्ल्यू वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड, नंबर: 707-708, टॉवर-1, डीएलएफ कॉर्पोरेट ग्रीन्स, गुड़गांव, हरियाणा-122004 और प्लॉट नंबर: 31 पी, सेक्टर 38 गुड़गांव-122001, हरियाणा)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने आवेदक को प्रस्तावित कार्य पर प्राधिकरण के समक्ष एक प्रस्तुति देने के लिए कहते हुए मामले को **वापस भेजने का निर्णय लिया।**

<u>मामला संख्या 21</u>

(श्री गौतम सरमा, पुत्र श्री तरूण चंद्र सरमा, ज्यूपिटर कंस्ट्रक्शन, डिवाइन प्लाजा बिल्डिंग, सुपरमार्केट, गुवाहाटी-781006)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ मामले को **वापस भेजने का निर्णय लिया:**

क) प्रस्तावित भवन की ऊंचाई 15.00 मीटर तक सीमित रखी जानी चाहिए (सभी सम्मिलित)।
ख) चूंकि संपत्ति के दस्तावेजों के अनुसार संपत्ति का स्वामित्व श्री प्रदीप कुमार गोस्वामी के पास है, परन्तु आवेदक श्री गौतम सरमा के पक्ष में पंजीकृत जीपीए/एसपीए संलग्न नहीं पाया गया।

उपरोक्त टिप्पणियों का अनुपालन करने के बाद आवेदक सक्षम प्राधिकारी, असम के माध्यम से संशोधित प्रस्ताव फिर से जमा कर सकता है।

<u>मामला संख्या 22</u>

(रामकृष्ण मिशन, मंगलादेवी मंदिर रोड, मैंगलोर, जिला-दक्षिण कन्नड़, कर्नाटक-575001)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ मामले को **वापस भेजने का निर्णय लिया।** सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक प्राधिकरण को यह भी सूचित करें कि एएसआई, धारवाड़ सर्किल द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस का आवेदक द्वारा अनुपालन किया गया है या नहीं।

क) स्व-घोषणा में प्रस्तावित साइट का पता उल्लिखित नहीं है।
ख) फॉर्म-II और बिल्डिंग प्लान में ऊंचाई का बेमेल होना।

उपरोक्त टिप्पणियों का अनुपालन करने के बाद आवेदक सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक के माध्यम से संशोधित प्रस्ताव फिर से जमा कर सकता है।

<u>मामला संख्या 23</u>

(मैसर्स डिवाइन बिल्डर्स श्रीमती आरती बैस, डिवाइन सिटी, कॉलोनी कार्यालय, चक्कर रोड, नर्मदापुरम, जिला-नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने आवेदक को ऊंचाई 07.50 मीटर (सभी को सम्मिलित करते हुए) तक सीमित करने तथा प्रस्तावित निर्माण हेतु आवेदन पत्र संशोधित भवन योजना के साथ सक्षम प्राधिकारी, मध्य प्रदेश के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस भेजने का निर्णय लिया।**

<u>मामला संख्या 24</u>

(श्री सईदाखान ख्वाजा खान पठान, छोटा इमामबाड़ा, वार्ड नंबर 12, तालुक-मेहकर, जिला बुलढाणा, महाराष्ट्र -443301)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने पुरानी संपत्ति/मकान नंबर-243/12, नई संपत्ति/मकान नंबर Z212001296, जोन 01, वार्ड नंबर 10, मेहकर, जिला बुलढाणा, महाराष्ट्र में **06.00 मीटर** (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंट हाउस संरचना आदि सहित) की ऊंचाई के साथ ग्राउंड फ्लोर के साथ जीएफ=36.44 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन **(प्रधानमंत्री आवास योजना)** के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** फॉर्म-IV जारी करने से पहले सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र को प्रस्तावित साइट पते का उल्लेख करते हुए स्व-घोषणा (एनएमए वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप के अनुसार) जमा करने के अधीन, करने का निर्णय लिया। भवन निर्माण के लिए सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र की रिपोर्ट और स्थानीय भवन उपनियमों में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है।

<u>मामला संख्या 25</u>

(श्री नारायण हरिभाऊ राऊत, नरसिंग मंदिर, वार्ड नंबर 14, पता/पोस्ट-मेहकर, तालुक-मेहकर, जिला बुलढाणा, महाराष्ट्र-443301)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने पुरानी संपत्ति/मकान नंबर-138/13, नई संपत्ति/मकान नंबर Z213001463, मेहकर, जिला बुलढाणा, महाराष्ट्र में **08.40 मीटर** (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंट हाउस संरचना आदि सहित) की ऊंचाई के साथ ग्राउंड फ्लोर+फर्स्ट फ्लोर के साथ GF=1F=31.44 वर्ग मीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन **(प्रधानमंत्री आवास योजना)** के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** फॉर्म-IV जारी करने से पहले सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र को प्रस्तावित साइट पते का उल्लेख करते हुए स्व-घोषणा (एनएमए वेबसाइट

Thakur Verma

पर उपलब्ध प्रारूप के अनुसार) जमा करने के अधीन, करने का निर्णय लिया। भवन निर्माण के लिए सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र की रिपोर्ट और स्थानीय भवन उपनियमों में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है।

मामला संख्या 26

(श्रीमती शकुंतला विष्णु नागरगोजे, एट, मालीपेठ, वार्ड नंबर 01, मेहकर, तालुक-मेहकर जिला भुलढाणा, महाराष्ट्र-443301)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने पुरानी संपत्ति/मकान नंबर 39/1, नई संपत्ति/मकान नंबर Z2100059, वार्ड नंबर 01, मेहकर, जिला बुलढाणा, महाराष्ट्र में **04.50 मीटर** (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंट हाउस संरचना आदि सहित) की ऊंचाई के साथ ग्राउंड फ्लोर के साथ GF=28.07 वर्ग मीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन **(प्रधानमंत्री आवास योजना)** के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** फॉर्म-IV जारी करने से पहले सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र को प्रस्तावित साइट पते का उल्लेख करते हुए स्व-घोषणा (एनएमए वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप के अनुसार) जमा करने के अधीन, करने का निर्णय लिया। भवन निर्माण के लिए सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र की रिपोर्ट और स्थानीय भवन उपनियमों में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है।

मामला संख्या 27

(श्री सीताराम अपार्टमेंट कॉन्डोमिनियम अध्यक्ष श्री सचिन नरेंद्र क्षीरसागर, संतोष शमराव पाटिल, सीटीएस नंबर 1170/31-1बी, एफपी नंबर 542+872+873/31/1बी, रिवेन्यु कॉलोनी, भाम्बुर्दा, शिवाजी नगर, पुणे, महाराष्ट्र-411005 के माध्यम से)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ मामले को **वापस भेजने का निर्णय लिया:**

क) बिल्डिंग प्लान में पार्किंग के फ्लोर एरिया का उल्लेख नहीं है।

ख) प्रस्तावित भवन की ऊंचाई 18.00 मीटर तक सीमित रखी जानी चाहिए (सभी को सम्मिलित करते हुए)।

उपरोक्त टिप्पणियों का अनुपालन करते हुए आवेदक सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र के माध्यम से प्रस्ताव फिर से जमा कर सकते हैं।

मामला संख्या 28

(श्री राजेश वामन इंगले, मालीपेठ, वार्ड नं. 1, तालुक-मेहकर जिला बुलढाणा, महाराष्ट्र- 443301)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने पुरानी संपत्ति/मकान नंबर-170/01, नई संपत्ति/मकान नंबर Z21000195, जोन नं. 01, वार्ड नं. 02, मेहकर, जिला-बुलढाणा, महाराष्ट्र में **06.39 मीटर** (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंट हाउस संरचना आदि सहित) की ऊंचाई के साथ ग्राउंड फ्लोर+फर्स्ट फ्लोर के साथ जीएफ=1 एफ=22.16 वर्ग मीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन **(प्रधानमंत्री आवास योजना)** के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** फॉर्म-IV जारी करने से पहले सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र को प्रस्तावित साइट पते का उल्लेख करते हुए स्व-घोषणा (एनएमए वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप के अनुसार) जमा करने के अधीन, करने का निर्णय लिया। भवन निर्माण के लिए सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र की रिपोर्ट और स्थानीय भवन उपनियमों में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है।

<u>मामला संख्या 29</u>

(श्री उन्नीकृष्णन के., कांजीराप्रम्बु मैडम, कोडकारा पीओ त्रिशूर, केरल-680503)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने सर्वे नं. 86/17-1-1, वार्ड नं. 07, कुन्नमकुलम जिला, केरल में **06.77 मीटर** (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंट हाउस संरचना आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ जीएफ=139.46 वर्गमीटर, 1एफ=22.86 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, केरल की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या 30</u>

(श्रीमती नलिनी और कनिष्ठ कार्तिक, कदम्पल्ली हाउस, चौन्नूर पीओ त्रिशूर, केरल-680517)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने सर्वे नं. 83/21, चौवन्नूर गांव, कुन्नमकुलम नगर पालिका और तालुक, त्रिशूर जिला, केरल में **08.10 मीटर** (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंट हाउस संरचना आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ जीएफ=97.13 वर्गमीटर (मौजूदा) जीएफ=51.12 वर्गमीटर (प्रस्तावित), 1एफ = 54.00 वर्गमीटर (प्रस्तावित) तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, केरल की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का

मनोज वर्मा

पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 31

(श्री सुधाकरन, मुथुवन्नूर हाउस, चौन्नूर पीओ त्रिशूर, केरल-680517)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने आर सर्वे नंबर 97/10-3, 97/10-2-1, वार्ड नंबर 10, चौवन्नूर गांव, डेसन नगर पालिका, केरल में **05.95 मीटर** (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंट हाउस संरचना आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ जीएफ=75.08 वर्गमीटर, सीढ़ी कक्ष=11.40 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, केरल की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 32

(डॉ. उथरा उन्नीकृष्णन, चिरक्कल हाउस, पेरिम्बिलिसरी, रोहिणी अस्पताल के पीछे, चेरप्पू, पीओ त्रिशूर, केरल, 680561)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने सर्वेक्षण संख्या 367/24-1, वार्ड संख्या 19, गांव-चेरपू, पंचायत-चेरपू, तालुक-त्रिशूर, केरल में **07.84 मीटर** (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंट हाउस संरचना आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ जीएफ=101.67 वर्गमीटर, 1एफ= 94.73 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, केरल की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

अनुपालन मामले

मामला संख्या 33

(पेडाप्रोलू श्री लक्ष्मी, 6-9, बिय्यम्पेटा, द्रक्षारामा, रामचन्द्र पुरम मंडल, कोनासेमा, आंध्र प्रदेश-533262)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने 219/1बी, 219/2 द्राक्षरामा, आदिलाबाद, आंध्र प्रदेश में **04.20 मीटर** (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंट हाउस संरचना आदि सहित) की ऊंचाई के साथ बेसमेंट+ग्राउंड फ्लोर के साथ जीएफ=57.51 वर्गमीटर, बेसमेंट की गहराई=0.60 मीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** फॉर्म-IV जारी करने से पहले सक्षम प्राधिकारी, आंध्र प्रदेश को एनएमए प्रारूप के अनुसार आवेदक द्वारा स्व-घोषणा प्रस्तुत करने के अधीन, करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, केरल की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 34

(श्री अविनाश बजरंग खंडागले, दरगा रोड, मकान नंबर 49, शक्ति नगर, बाराटांग मस्जिद के पास, विजयपुर तालुक और जिला, कर्नाटक-586103)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने सर्वे नंबर 847/2, प्लॉट नंबर 49 शक्ति नगर, बाराटांग मस्जिद के पास, महलबगायत, विजयपुर, कर्नाटक-586103 में **07.50 मीटर** (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंट हाउस संरचना आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ जीएफ=127.25 वर्गमीटर, 1एफ=141.00 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, केरल की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 35

(श्री अमर सिंह पटेल पुत्र श्री प्रेम सिंह पटेल, निकट पुराना बीमा, बीमा वाली गली, गौशपुरा नंबर 1, हजीरा, ग्वालियर जिला-ग्वालियर, मध्य प्रदेश)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने प्लॉट नंबर 241/1, वार्ड/जोन 02/10, फोर्ट व्यू कॉलोनी, जिला-ग्वालियर, मध्य प्रदेश में **12.00 मीटर** (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंट हाउस संरचना आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ+2 मंजिलों के साथ GF=1F=2F=96.06 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 36

(श्री गंगनदीप सिंह कोहली पुत्र श्री तविंदर कोहली और संदीप संचेती पुत्र के. रमेश चंद संचेती, मकान नंबर 2-12-48/1, कोहली विला, स्टाफ रोड, सीडीए कार्यालय के सामने, खरखाना, सिकंदराबाद, तेलंगाना-500010)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने आवेदक को प्राधिकरण के समक्ष एक प्रस्तुति देने के लिए कहते हुए मामले को **वापस भेजने का निर्णय लिया** क्योंकि फॉर्म-II में क्लब हाउस और बनाए जाने वाले विला की संख्या के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है।

मामला संख्या 37

(अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पेरुवनम, चेरप्पू, पीओ, त्रिशूर, केरल-680561)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने सर्वे नंबर 261/17, चेवूर गांव, वार्ड नंबर 08, चेरपु पंचयात, त्रिशूर, केरल में **09.72 मीटर** (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पैंट हाउस संरचना आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ (मौजूदा)+1 तल के साथ जीएफ=479.00 वर्गमीटर (मौजूदा), 1एफ= 479.00 वर्गमीटर तलक्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की सरकारी संपत्ति की पहली मंजिल के विस्तार के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, केरल की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

पावरपॉइंट प्रस्तुति

मामला संख्या 38

(एलायंस प्रॉपर्टीज एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 2बी, गणेश चंद्र एवेन्यू, कोलकाता, पश्चिम बंगाल)

प्रस्तावित भवन के लिए 46.00 मीटर (सभी को मिलाकर) की ऊंचाई की अनुमति देने के लिए एलायंस प्रॉपर्टीज एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर प्राधिकरण ने विचार किया। आवेदक अतिरिक्त ऊंचाई की आवश्यकता के लिए कोई संतोषजनक औचित्य प्रस्तुत नहीं कर सका। तदनुसार, प्राधिकरण ने 19 फरवरी, 2024 को आयोजित 426वीं आरजीपी बैठक में की गई अपनी सिफारिश को **दोहराया** जिसमें प्रस्तावित भवन की ऊंचाई 40.00 मीटर (सभी को सम्मिलित करते हुए) तक सीमित कर दी गई थी।

मामला संख्या 39

(मुख्य अभियंता (परियोजना), नगर निगम पुणे, तीसरी मंजिल मुख्य भवन, पुणे नगर निगम शिवाजी नगर, पुणे, महाराष्ट्र-411005)

आवेदन पर विचार करने और कार्यकारी अभियंता, पुणे नगर निगम द्वारा 26.03.2024 को पावरप्वाइंट प्रस्तुतिकरण के बाद प्राधिकरण ने केंद्रीय संरक्षित स्मारक "आगा खान पैलेस" के विनियमित क्षेत्र में शिवाजी नगर चौक, यरवदा, पुणे, महाराष्ट्र में 08.50 मीटर (सभी को मिलाकर) तक की अधिकतम ऊंचाई वाले 190.00 मीटर की लंबाई के ग्रेड सेपरेटर/फ्लाईओवर के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश करने का निर्णय लिया।** सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को कार्य करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 40

(डिवीजनल इंजीनियर, डिविजनल इंजीनियर का कार्यालय (राजमार्ग), नंबर 18/46, 5वीं वेस्ट क्रॉस रोड, गांधी नगर, काटपाडी, वेल्लोर, तमिलनाडु-632006)

बैठक के दौरान राजमार्ग परियोजना के डिविजनल इंजीनियर (डीई) की पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन के दौरान कनेक्टिविटी मुद्दों के कारण प्राधिकरण ने आवेदक को नई दिल्ली में भौतिक मोड में पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन देने के लिए कहने का निर्णय लिया।

मामला संख्या 41

(कार्यकारी अभियंता, एम-413 (पीडब्ल्यूडी), एम-413, पीडब्ल्यूडी, नई दिल्ली)

लद्दाख बुद्ध विहार, कश्मीरी गेट, दिल्ली के आरडब्ल्यूए सदस्यों के पदाधिकारियों ने प्राधिकरण से मुलाकात की और रिंग रोड पर मोनेस्ट्री मार्केट बुद्ध विहार, दिल्ली में फुट ओवर ब्रिज के निर्माण जो आईएसबीटी, कश्मीरी गेट, दिल्ली, सीए, एनसीटी दिल्ली के पास 2019 से लंबित है, के लिए कार्यकारी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली को सिफारिश जारी करने का अनुरोध किया। हालाँकि, प्राधिकरण ने फाउंडेशन कार्य और लिफ्ट पिट के निर्माण के कारण एसए, दिल्ली सर्कल का कार्यानय द्वारा जारी दिनांक 22.12.2020 के कारण बताओ नोटिस के अनुपालन के अभाव में प्रस्ताव पर विचार करने में असमर्थता व्यक्त की।

प्राधिकरण ने आवेदन पर आगे विचार करने के लिए कार्यकारी अभियंता, पीडब्ल्यूडी, नई दिल्ली द्वारा एक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा।

अतिरिक्त कार्यसूची

मामला संख्या 42

(लेफ्टिनेंट कर्नल रोहित सिंह साही (सेवानिवृत्त), सचिव, दिल्ली गोल्फ क्लब, डॉ. जाकिर हुसैन मार्ग, नई दिल्ली-110003)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने डॉ. ज़ाकिर हुसैन मार्ग, नई दिल्ली-110003 में (i) 90.00 मीटर x 02.50 मीटर = 225.00 वर्ग मीटर और (ii) 08.00 मीटर x 05.00 मीटर = 40.00 वर्ग मीटर के मुख्य भवन के पास लॉन क्षेत्र की मौजूदा मंजिल की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश करने का निर्णय लिया**, जो केंद्रीय संरक्षित स्मारक, "लाल बंगला" के निकट है। सक्षम प्राधिकारी, एनसीटी दिल्ली की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। एएसआई की देखरेख में कार्य को अंजाम दिया जाए। आवेदक को मरम्मत कार्य करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 43

(लेफ्टिनेंट कर्नल रोहित सिंह साही (सेवानिवृत्त), सचिव, दिल्ली गोल्फ क्लब, डॉ. जाकिर हुसैन मार्ग, नई दिल्ली-110003)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने डॉ. ज़ाकिर हुसैन मार्ग, नई दिल्ली-110003 में कैंटिलीवर संरचना, उपयोगिता ग्लास रूम, नाली पर रैंप, सीढ़ी, ग्लास रूम, रोलिंग शटर के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ कुल तलक्षेत्र = 10.00 मीटर (सभी समावेशी) की ऊंचाई के साथ 180.00 वर्गमीटर प्रदान करके प्रैक्टिस ड्राइविंग रेंज (पीडीआर) के नवीकरण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश करने का निर्णय लिया।** सक्षम प्राधिकारी, एनसीटी दिल्ली की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। एएसआई की देखरेख में कार्य को अंजाम दिया जाए। आवेदक को मरम्मत कार्य करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 44

(लेफ्टिनेंट कर्नल रोहित सिंह साही (सेवानिवृत्त), सचिव, दिल्ली गोल्फ क्लब, डॉ. जाकिर हुसैन मार्ग, नई दिल्ली-110003)

दिल्ली गोल्फ क्लब, डॉ. जाकिर हुसैन मार्ग, नई दिल्ली-110003 में केंद्रीय संरक्षित स्मारक, "लाल बंगला" के नजदीक 11.00 मीटर (सभी समावेशी) की ऊंचाई के साथ एनेक्सी भवन में इसकी संरचना के साथ लिफ्ट की स्थापना के लिए आवेदन पर प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया। प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि एएमएएसआर अधिनियम 1958 (यथा संशोधित 2010) की धारा 2 (डीसी) में दी गई 'निर्माण' की परिभाषा के अपवाद खंड के तहत व्यापक सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए इसकी संरचना के साथ उपर्युक्त लिफ्ट की स्थापना पर उसे **'कोई आपत्ति नहीं'** है। यह सक्षम प्राधिकारी, एनसीटी दिल्ली की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन है। एएसआई की देखरेख में कार्य को अंजाम दिया जाए। स्थापना कार्य करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 45

(श्री ऐजाज़ मलिक, 2955, कूचा माईदास, बाज़ार सीता राम, दिल्ली-110006)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ मामले को **खारिज करने का निर्णय लिया:**

क) फॉर्म-I/फॉर्म-II के अनुसार स्वामित्व की स्थिति व्यक्तिगत है, जबकि संपत्ति दस्तावेजों के अनुसार यह संयुक्त स्वामित्व में है।

ख) आवेदक को अनुमति के लिए आवेदन करने के लिए अधिकृत करने वाले दस्तावेज उप-रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीकृत नहीं हैं। इसके अलावा, आवेदक को अधिकृत करने वाले अपंजीकृत दस्तावेज में एक और व्यक्ति को अधिकृत बताया गया है।

उपरोक्त टिप्पणियों का अनुपालन करने के बाद आवेदक सक्षम प्राधिकारी, एनसीटी दिल्ली के माध्यम से नए सिरे से आवेदन कर सकता है।

मामला संख्या 46

(श्रीमती रुखसाना बेगम, श्रीमती नेहा असजद, श्री मोहम्मद अदनान, मोहम्मद नावेद और श्री उमैर मिर्जा, निवासी-3263-64 गली फरहतुल्ला, कूचा पंडित, लाल कुआं, दिल्ली-110006)

आवेदन के अवलोकन के बाद प्राधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ मामले को **खारिज करने का निर्णय लिया:**

क) संपत्ति के दस्तावेज़ पढ़ने योग्य नहीं हैं।

ख) भवन योजना में उल्लिखित तलक्षेत्र फॉर्म-I/फॉर्म-II से मेल नहीं खाता है।

उपरोक्त टिप्पणियों का अनुपालन करने के बाद आवेदक सक्षम प्राधिकारी, एनसीटी दिल्ली के माध्यम से नए सिरे से आवेदन कर सकता है।